पंचायत स्वशासन से ग्रामीण भारत में बदलाव

सीखें-सिखायें
पुस्तिका - 02

आइये जानें पंचायत राज कानून के बारे में

Azim Premji Philanthropic Initiatives

TRI TRANSFORM RURAL INDIA

अ म र्थ न

सामग्री निर्माण टीम

मनीष श्रीवास्तव, राजेन्द्र बन्धु, दिनेश सिंह,
श्याम श्रीवास्तव, ज्ञानेन्द्र तिवारी, संतोषी तिवारी,
नारायण परमार, राजकुमार मिश्रा, राहुल निगम
एवं विनोद चौधरी

सलाहकार मण्डल

अनिर्बान घोष, योगेश कुमार, गौरव मिश्रा,
श्रद्धा कुमार, सुभाष मेदापुरकर, मीनाक्षी सुन्दरम,
श्याम बोहरे, आर.एन. सियाग, दविन्दर कौर उप्पल,
अशोक सिंह एवं दत्ता गुराव

प्रकाशन वर्ष	:	2017
कुल प्रतियां	:	1000
प्रकाशक	:	टीआरआईएफ, समर्थन
सहयोग	:	अजीम प्रेमजी फिलान्थ्रोपिक इनीशीएटिव्स
मुद्रक	:	गणेश ग्राफिक्स, भोपाल

Azim Premji Philanthropic Initiatives

TRI TRANSFORM RURAL INDIA

स म र्थ न

यह प्रकाशन मध्यप्रदेश के बड़वानी जिला अंतर्गत राजपुर विकासखण्ड में ट्रांस्फार्मिंग रूरल इंडिया कार्यक्रम के अन्तर्गत संचालित परियोजना के माध्यम से पंचायत प्रतिनिधियों, ग्राम सभा सदस्यों, महिला समूहों, परिवर्तन प्रेरकों और अन्य सामुदायिक संगठनों की क्षमतावृद्धि के लिये तैयार किया गया है।

पंचायत स्वशासन से ग्रामीण भारत में बदलाव

सीखें-सिखायें पुस्तिका - 02

आइये जानें पंचायत राज कानून के बारे में

Azim Premji Philanthropic Initiatives

TRI TRANSFORM RURAL INDIA

अ म र्थ न

प्रस्तावना

हम सभी जानते हैं कि भारत इस विश्व की सबसे बड़ी प्रजातांत्रिक व्यवस्था है। गाँधी जी का यह कथन कि भारत विविधता का देश है और ग्राम स्वराज से ही देश टिकाऊ प्रगति कर सकता है, आज भी सार्थक है। देश की प्रजातांत्रिक व्यवस्था को ग्राम स्तर तक पहुँचाने तथा स्थानीय स्वशासन एवं पंचायती राज व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिये संविधान में 73वाँ व 74वाँ संशोधन किया गया है। पंचायती राज व्यवस्था की सबसे बड़ी खूबी यह है कि इसमें चुने हुये प्रतिनिधि आम जनता एवं मतदाताओं के बीच रहकर अपनी भूमिका एवं दायित्व निभाते हैं जो कि एक प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का स्वरूप है। संविधान द्वारा पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं की सहभागिता सुनिश्चित करने हेतु आरक्षण का प्रावधान भी किया गया है।

संविधान संशोधन के उपरांत ग्रामों में मूलभूत सुविधाएं सुनिश्चित करने तथा उनके सर्वांगीण विकास हेतु ग्राम पंचायतें संवैधानिक रूप से उत्तरदायी एवं प्रयासरत हैं। इसी क्रम में अजीम प्रेमजी फिलान्थ्रोपिक इंस्टीट्यूशन (APPI) के सहयोग से ग्राम स्तर पर समुदाय/पंचायत को केन्द्र में रखते हुए विकास के विभिन्न आयामों – आजीविका, स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा तथा स्वच्छता एवं पेयजल जैसे मुद्दों पर एक एकीकृत कार्यक्रम का क्रियान्वयन मध्यप्रदेश के कुछ विकासखंडों में किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत देश तथा प्रदेश के विभिन्न स्वैच्छिक संगठन एक साथ मिलकर प्रयास कर रहे हैं।

विगत ढाई दशकों में ग्राम पंचायतों के पास संसाधन बढ़े हैं तथा युवा नेतृत्व ने अपने अभिनव प्रयासों से स्थानीय स्वशासन एवं विकास के कई उदाहरण प्रस्तुत किये हैं। परन्तु अभी भी इस दिशा में और अधिक संवहनीय एवं केन्द्रित प्रयासों की आवश्यकता है। हमारा ऐसा मानना है कि यदि पंचायत के चुने हुए प्रतिनिधियों को उनके कार्य एवं दायित्वों से सम्बंधित जानकारी के साथ-साथ सहयोग एवं प्रोत्साहन मिलेगा तो वे अपनी नियत भूमिकाओं को जिम्मेदारी पूर्वक निभाने में और भी सक्षम होंगे तथा प्रजातांत्रिक मूल्यों को जमीनी स्तर पर और अधिक मजबूत कर सकेंगे।

अत: पंचायतों को सौंपे गए विभिन्न दायित्वों एवं उनके द्वारा सम्पादित किये जाने वाले कार्यों के सम्बन्ध में उनकी क्षमतावृद्धि की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए यह पठन सामग्री विकसित की गई है। इस सामग्री को विकसित करते समय विषय विशेषज्ञों द्वारा पंचायत से संबंधित विभिन्न आयामों की जानकारियाँ एवं प्रबन्धकीय ज्ञान की आवश्यकताओं का विशेष ध्यान रखा गया है। यह सामग्री पंचायत प्रतिनिधि, जमीनी स्तर के विभागीय कर्मचारी, स्वयंसेवी संस्थाओं के कार्यकर्ता एवं आम ग्रामीण नागरिकों को ध्यान में रखकर तैयार की गई है। पठन सामग्री तैयार करने में सहभागी अभिशासन से जुड़े सामाजिक कार्यकर्ताओं तथा विभिन्न अकादमी से जुड़े स्रोत व्यक्तियों का उनके बहुमल्य योगदान के लिये हम विशेष आभार व्यक्त करते हैं।

आशा है कि यह सामग्री आप सभी को उपयोगी एवं रूचिकर लगेगी।

शुभकामनाओं के साथ

योगेश कुमार
समर्थन

गौरव मिश्रा
टी.आर.आई.एफ.

विषय सूची

पंचायत राज	05
मध्यप्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1993 की विशेषताएं	06
अभ्यास–1	09
त्रि–स्तरीय पंचायतों के कार्य	10
ग्राम पंचायत के कार्य	10
जनपद पंचायत के कार्य	13
जिला पंचायत के कार्य	13
ग्राम पंचायतों के काम–काज के तरीके	14
ग्राम पंचायत की शक्तियां एवं समितियां	17
अभ्यास –2	18
सरपंच, उपसरपंच, पंच तथा सचिव के जिम्मेदारियां और अधिकार	19
अभ्यास –3	22
पंचायत प्रतिनिधियों को पद से हटाने के कानूनी प्रावधान	23
ग्राम सभा के अधिकार और शक्तियां	30
अभ्यास–4	31

नोट : इस पुस्तिका में दी गई कानूनी जानकारी सितम्बर 2017 तक के कानूनी प्रावधानों के अनुसार है। इसके बाद हुए किसी भी कानूनी बदलाव या संशोधन की जानकारी के लिए संबंधित आदेश–निर्देश का अध्ययन करें।

पंचायत राज

पंचायत राज व्यवस्था की बात करने से पहले हमें अपने समाज की पंचायतों और आज की पंचायतों की मुख्य बातें समझनी होगी। परम्परागत समाज की पंचायतों का स्वरूप अनौपचारिक था, उनके कायदे-कानून लिखित में नहीं होते थे फिर भी उनका प्रभाव समाज पर ज्यादा होता था। पंचायत के फैसले के खिलाफ जाने की कोई सोच भी नहीं सकता था। पंचायत के पंचों का बहुत सम्मान था, उन्हें पंच परमेश्वर तक कहा जाता था। पंचायतों के पास समाज का भरोसा और ताकत भी थी। जबकि आज की पंचायतों के पास समाज की नहीं सरकार के कानून की ताकत है। इनका रूप औपचारिक है, हर बात कायदे-कानून के रूप में लिखी गई है।

पहले की पंचायतों में कुछ कमियां भी थीं, जैसे-पुरानी पंचायतों में महिलाओं के लिये कोई स्थान नहीं था, अनुसूचित जाति तथा पिछड़े गरीब लोगों के लिये कोई जगह नहीं थी। अक्सर बड़ी जाति के सम्पन्न लोगों का बोल-बाला रहता था। लेकिन आज की पंचायतों में महिलाओं के लिये पचास प्रतिशत तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए उनकी जनसंख्या के अनुसार पद तय हैं। इस तरह हम देखते हैं कि आज की पंचायतों में ऊँच-नीच, महिला-पुरूष आदि का भेद-भाव मिटाने की कोशिश भी की गई है। पहले की पंचायतों में सजा के तौर पर सबके सामने अपशब्द कहना, शारीरिक दण्ड देना और अपमानित करना एक आम बात थी। लेकिन आज की पंचायतों में किसी भी तरह का अपमानजनक व्यवहार कानूनी तौर पर नहीं किया जा सकता। पुरानी पंचायतों का ज्यादा जोर विवाद निपटाने और न्याय करने पर होता था। जबकि आज पंचायतों का ज्यादा जोर गाँव के विकास पर है।

आज की पंचायतों को कानून का आधार जरूर मिल गया है परन्तु समाज का लगाव पहले की तरह नहीं है। सरकारी कायदे-कानून और काम करने के तरीके (प्रक्रिया) कुछ जटिल हैं जो, समाज के वास्तविक तौर-तरीकों से बहुत दूर है। दोनों व्यवस्थाओं के अपने

गुण और दोष हैं, उनकी ताकत और कमजोरियां हैं। यदि दोनों व्यवस्थाओं की कमजोरियों और दोषों को दूर कर इनकी ताकत और गुणों को अपनाया जाए तो आदर्श पंचायत राज व्यवस्था स्थापित हो सकती है।

आजादी के बाद सन् 1957 में भारत सरकार द्वारा सामुदायिक विकास कार्यक्रमों के परिणामों के अध्ययन हेतु बलवन्त राय मेहता समिति का गठन किया गया। समिति ने अपने अध्ययन में पाया कि विकास कार्यक्रमों में स्थानीय लोगों की भागीदारी नहीं होने से वे असफल हो रहे हैं इनकी सफलता के लिये पंचायती राज के रूप में विकेन्द्रीकृत लोकतंत्र व्यवस्था के स्थापना की अनुसंशा की।

1978 में अशोक मेहता समिति ने भी पंचायतों को असरदार बनाने के लिये कहा कि जब तक पंचायतों के काम में सरकार दखल देती रहेगी पंचायतें स्वायत्त संस्था नहीं बन सकती। अंततः 1992 में संविधान में 73वां संशोधन कर देश में पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत करने एवं इनके माध्यम से विकास योजनाओं को लागू करने का निर्णय लिया गया। संविधान के 73वें संशोधन के बाद सन् 1993 में मध्यप्रदेश में म.प्र. पंचायत राज अधिनियम 1993 विधानसभा से पारित किया गया।

मध्यप्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1993 की विशेषताएं

मध्यप्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1993 पारित होने के पश्चात 24 जनवरी 1994 को इसे महामहिम राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हुई। 25 जनवरी 1994 को मध्यप्रदेश असाधारण राजपत्र में प्रकाशित होते ही यह अधिनियम पूरे राज्य में प्रभावशील हो गया। इस अधिनियम में कुछ संशोधन करते हुए 30 मई 1994 को एक अध्यादेश जारी किया गया। मध्यप्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1993 की विशेषताएं इस प्रकार हैं –

1. प्रत्येक राजस्व एवं वन ग्राम के लिए ग्राम सभा होगी। इस ग्राम सभा का सदस्य हर वह व्यक्ति होगा जिसका नाम इस गांव की मतदाता सूची में हो। धारा–2(आठ)
2. ग्राम सभा की तीन माह में कम से कम एक बैठक करना अनिवार्य है। धारा–6(1)

2.1 ग्राम के लिये ग्राम पंचायत, विकासखण्ड के लिये जनपद पंचायत और जिले के लिये जिला पंचायत का गठन किया गया है। (धारा–8)

3. प्रत्येक पंचायत की कार्य अवधि (समय) पंचायत की पहली बैठक की तारीख से 5 वर्ष की होगी जब तक कि इसे समय से पहले कानूनन विघटित (भंग) न किया जाये। इस अवधि में पंचायत के विघटित होने के छः माह के भीतर अगले चुनाव कराया जाना जरूरी है। (धारा–9–2ख)
4. किसी भी क्षेत्र के भीतर अनुसूचित जनजाति तथा अनुसूचित जातियों की जनसंख्या का कुल जनसंख्या में जो अनुपात है उसी अनुपात में अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जातियों के लिये पद आरक्षित किये जायेंगे। जैसे राज्य की जनसंख्या में इन जातियों का जो अनुपात है उसके आधार पर जिला पंचायत के अध्यक्षों के पद, जिले की कुल जनसंख्या में इन जातियों की जनसंख्या का जो अनुपात है उसी आधार पर जिले की जनपद पंचायत के अध्यक्षों के पद एवं जनपद पंचायत की कुल जनसंख्या में इन जातियों की जनसंख्या का जो अनुपात है उसी अनुसार जनपद पंचायतों में ग्राम पंचायत के सरपंचों के पद आरक्षित किये गये हैं।

उदाहरण के तौर पर यदि किसी राज्य में अजा एवं अजजा की कुल जनसंख्या उस राज्य की कुल जनसंख्या का 60 प्रतिशत है तो उस राज्य के सभी जिला पंचायतों में से 60 प्रतिशत जिला पंचायतों के अध्यक्षों के पद अजा एवं अजजा के लिये आरक्षित होंगे इसी प्रकार जनपद और ग्राम पंचायतों के लिये पद आरक्षित होंगे। (धारा–17, 25 एवं 32)

- ☞ अनुसूचित क्षेत्रों की प्रत्येक पंचायत में अजा/अजजा के लिये स्थानों का आरक्षण उस पंचायत में उनकी अपनी-अपनी जनसंख्या के आधार पर होगा लेकिन अनुसूचित जनजातियों के लिये आरक्षण, स्थानों की कुल संख्या के आधे से कम नहीं होगा।
- ☞ अनुसूचित क्षेत्रों की सभी स्तरों की पंचायतों के सरपंच एवं अध्यक्षों के समस्त स्थान अनुसूचित जनजातियों के लिये आरक्षित होंगे।
- ☞ अनुसूचित क्षेत्रों में अन्य पिछड़ा वर्गों के लिये उतने स्थान आरक्षित किये जायेंगे जो कि अजा/अजजा के लिये आरक्षित स्थानों को मिलाकर पंचायत के कुल स्थानों के तीन-चौथाई से अधिक नहीं होंगे।

4.1 जिस जिले एवं जनपद पंचायत में अनुसूचित जातियों और जनजातियों की सम्मिलित जनसंख्या आधे से कम है वहां जिला पंचायत के अध्यक्ष, जनपद पंचायत के अध्यक्ष एवं ग्राम पंचायत के सरपंचों के कुल पदों के 25 प्रतिशत (एक चौथाई) पद अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये आरक्षित किये जायेंगे। (धारा-17, 25 एवं 32)

4.2 संविधान की पाँचवी अनुसूची के अंतर्गत आने वाले अनुसूचित क्षेत्र की समस्त ग्राम पंचायतों के सरपंच पद अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित रहते हैं।

4.3 अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा की अध्यक्षता सरपंच/उपसरपंच तथा पंच के स्थान पर ग्राम सभा द्वारा चुने गए अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति द्वारा किये जाने का प्रावधान है।

5. यदि जिला पंचायत का अध्यक्ष, जनपद पंचायत का अध्यक्ष या ग्राम पंचायत का सरपंच अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़े वर्ग का नहीं है तो उपाध्यक्ष/उप सरपंच अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अथवा पिछड़े वर्ग के सदस्यों में से चुना जावेगा। (धारा-17, 25 एवं 32)

6. पंचायतों के निष्पक्ष ढंग से चुनाव कराने के लिये प्रदेश में राज्य चुनाव आयोग का गठन किया गया है। (धारा-42)

7. ग्राम पंचायत में 10 से 20 वार्ड, जनपद पंचायत में 10 से 25 एवं जिला पंचायत में 10 से 35 निर्वाचन क्षेत्र होते हैं। ग्राम पंचायत के प्रत्येक वार्ड से एक पंच होगा, जनपद एवं जिला पंचायत के प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से एक सदस्य होगा जो एक से अधिक वार्डों या निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व नहीं करेगा। प्रत्येक ग्राम पंचायत से एक सरपंच तथा एक उप सरपंच होगा। इसी तरह जनपद व जिला पंचायत में अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के एक-एक पद होंगे।

8. जिला, जनपद एवं ग्राम पंचायत के सभी पदों के लिये तय कुल स्थानों में से पचास प्रतिशत स्थान महिलाओं के लिये आरक्षित होंगे।

9. ग्राम पंचायत के पंच एवं सरपंच, जनपद के सदस्य तथा जिला पंचायत के सदस्यों का चुनाव सीधे मतदान के द्वारा होगा। जनपद तथा जिला पंचायत के चुने हुए सदस्य अपने में से अध्यक्ष का चुनाव करेंगे।

10. प्रत्येक ग्राम पंचायत में उप सरपंच तथा जनपद व जिला पंचायत में उपाध्यक्ष का पद होगा जो कि उस पंचायत के सदस्यों के द्वारा चुना जाता है।

11. यदि सरपंच या उप सरपंच लोकसभा, विधान सभा या राज्य सभा का सदस्य अथवा सहकारी समिति का सभापति या उप सभापति हो जाता है तो वह सरपंच अथवा उप सरपंच के पद पर नहीं रह सकेगा और पद तत्काल रिक्त हो जाएगा।

12. जनपद और जिला पंचायतों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित स्थानों की संख्या का अनुपात वही होगा जो उस जनपद या जिला पंचायत क्षेत्र में अनुसूचित जनजातियों और अनुसूचित जातियों की जनसंख्या का उस क्षेत्र की कुल जनसंख्या के साथ है। (धारा-23 और 30)

13. जिन जनपद पंचायतों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की कुल जनसंख्या आधे या आधे से कम है वहां पर अन्य पिछड़े वर्गों के लिये 25 प्रतिशत स्थान आरक्षित किये जा सकेंगे। जिले में जनपद पंचायत के अध्यक्ष का पद अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए उसी अनुपात में आरक्षित किया जायेगा जो कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की कुल जनसंख्या का अनुपात जिला पंचायत क्षेत्र की कुल जनसंख्या के बीच है। इन जनपद अध्यक्ष के कुल पदों में से आधे पद महिलाओं के लिए आरक्षित रखे जायेंगे। {धारा-25,32-(दो)}

14. ग्राम पंचायत, जनपद तथा जिला पंचायत के निर्वाचन का प्रकाशन होने के बाद, प्रकाशन की तारीख से 30 दिन के अन्दर इनकी पहली बैठक आयोजित की जावेगी। यह सम्मेलन विहित

अधिकारी के आदेश द्वारा बुलाया जावेगा। {धारा-20 (1), 27(1), 34 (1)}

15. ग्राम पंचायत, जनपद और जिला पंचायतों के द्वारा किये जाने वाले कामों को स्पष्ट रूप से विभाजित किया गया है। प्रत्येक पंचायत उसे दिये गये कार्यों को करेगी। (धारा-49,50,52)

पंचायतों को सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाएं और सुरक्षा के संबंध में कुछ शक्तियां प्रदान की गई हैं। इसके साथ-साथ भवनों के निर्माण पर नियंत्रण एवं अनुमति, सार्वजनिक स्थानों पर अतिक्रमण को खत्म करने, मार्गों का नामकरण करने, भवनों पर क्रमांक डालने तथा बाजारों और मेलों का नियमन करने का अधिकार दिया गया है। (धारा 54 से 60)

16. पंचायत के तीनों स्तरों पर पंचायत के काम में सहयोग करने के लिए ग्राम पंचायत के लिये ग्राम पंचायत सचिव तथा जनपद और जिला पंचायत के लिए मुख्य कार्यपालन अधिकारी नियुक्त किये गये हैं। इन्हें वे कार्य करने होंगे जो नियम के अनुसार इन्हें सौंपे गये हैं। (धारा-69 एवं 72)

17. पंचायतों को स्वयं के वित्तीय स्रोतों को बढ़ाने के उद्देश्य से पंचायत स्तर पर कर लगाने का अधिकार दिया गया है। जिसका उल्लेख अधिनियम की धारा 77 के साथ पठित अनुसूची 1,2 और 3 में है।

18. पंचायत की कार्यवाहियों का निरीक्षण करने के लिये राज्य सरकार द्वारा अधिकारियों को अधिकृत किया गया है। (धारा-84)

19. राज्य शासन समय-समय पर किसी भी अधिकारी को पंचायतों के जांच की जिम्मेदारी दे सकती है। (धारा-88)

20. पंचायत का प्रत्येक पंच, सदस्य, पदाधिकारी, अधिकारी या सेवक उनके कारण पंचायत को हुई किसी धन हानि, सम्पत्ति की हानि, गलत ढंग से किए गये खर्चे व राशि के दुरूपयोग के लिए व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे। (धारा-89)

21. ग्राम पंचायत सरपंच अथवा उपसरपंच, जनपद पंचायत तथा जिला पंचायत के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष को विभिन्न प्रावधानों के तहत पद से हटाया जा सकता है। प्रावधानों का उल्लेख आगे किया गया है। (धारा-40)

22. पंचायत के नये चुने हुए सदस्यों का पहली बैठक की तारीख से पद का कार्यभार ग्रहण करना माना जाएगा। पुराने सदस्य पंचायत के सभी दस्तावेज, वस्तु, धन या सम्पत्ति नये पंचायत प्रतिनिधियों को तत्काल सौंपेंगे। अगर वह नहीं सौंपता है तो विहित अधिकारी उसके/उनके विरूद्ध कार्यवाही कर सकेगा। (धारा 92)

23. यदि कोई व्यक्ति ग्राम पंचायत, जनपद या जिला पंचायत में से एक से अधिक पद पर चुना जाता है तो वह नीचे लिखी प्राथमिकता-क्रम में किसी एक पद पर बना रह सकेगा। शेष पदों को उसे छोड़ना पड़ेगा। (धारा-41)

- जिला पंचायत का सदस्य
- जनपद पंचायत का सदस्य
- ग्राम पंचायत का सरपंच
- ग्राम पंचायत का पंच

एक से अधिक पद पर निर्वाचित व्यक्ति निर्वाचन से 15 दिन के भीतर एक पद पर बने रहने का अपना विकल्प देगा। यदि वह ऐसा विकल्प 15 दिन में नहीं देता है, तो वह ऊपर लिखे क्रम में किसी एक पद पर ही पदाधिकारी रह सकेगा।

अभ्यास- 1

1. ज्यादातर लोगों के लिये पंचायत का मतलब सरंपच होता है आपके अनुसार पंचायत क्या है अपने शब्दों में लिखें ?

   .....

   .....

2. आपके अनुसार ग्राम पंचायत क्यों आवश्यक है? यदि ग्राम पंचायत नहीं हो तो क्या फर्क पड़ेगा ?

   .....

   .....

3. पंचायत के चुने हुए सदस्यों का कार्यभार ग्रहण करना कबसे माना जाएगा?

   .....

   .....

4. ग्राम पंचायत के पदों में अजा, अजजा एवं महिलाओं के लिये कितने प्रतिशत पद आरक्षित हैं?

   .....

   .....

5. ग्राम पंचायत के पदों में पिछड़ा वर्ग के लिए कितने पद आरक्षित होते हैं ?

   .....

   .....

6. परंपरागत या पुरानी पंचायत व्यवस्था और वर्तमान पंचायत व्यवस्था में क्या अंतर है?

   .....

   .....

7. यदि कोई व्यक्ति पंचायतों में एक से अधिक पद पर चुनाव जीत जाता है, तो ऐसे व्यक्ति के लिए क्या कानूनी प्रावधान है?

   .....

   .....

8. पंचायतों का कार्यकाल किस दिन से शुरू माना जावेगा और कितने साल का होगा?

   .....

   .....

9. जनपद एवं जिला पंचायतों में अ. जा. और अ.ज.जा. के लिए आरक्षण की क्या व्यवस्था है?

   .....

   .....

10. ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत के कामों में सहयोग के लिए किसकी नियुक्ति की गई है?

    .....

    .....

त्रि-स्तरीय पंचायतों के कार्य

मध्यप्रदेश में पंचायत राज की स्थापना के लिए सरकार द्वारा सन् 1993 में एक कानून बनाया गया, जिसे "मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993" कहा जाता है। इस अधिनियम में पंचायतों के गठन से लेकर उनकी कार्य प्रणाली और विभिन्न भूमिकाओं को स्पष्ट किया गया है। इस अधिनियम के अनुसार गांवों में ग्राम पंचायत के गठन का प्रावधान है, वहीं ब्लॉक स्तर पर जनपद पंचायत और जिला स्तर पर जिला पंचायत के गठन का प्रावधान है। साथ ही अधिनियम में अलग-अलग स्तर की तीनों पंचायतों के कार्यों और भूमिकाओं को भी स्पष्ट किया गया है।

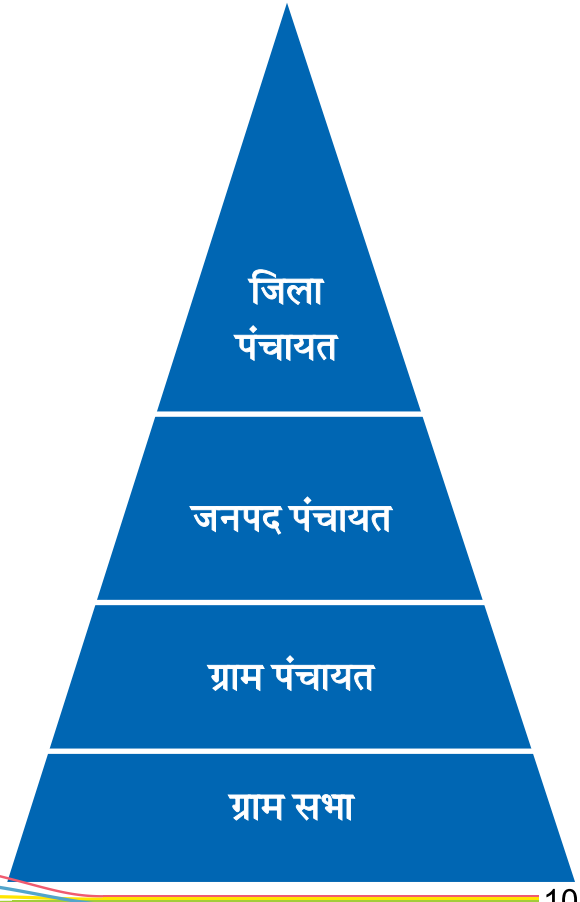

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम की धारा 49, 50 एवं 52 में त्रिस्तरीय पंचायतों के कार्यों का उल्लेख किया गया है, जो इस प्रकार हैं –

ग्राम पंचायत के कार्य

अधिनियम की धारा 49(क) के अनुसार ग्राम पंचायतों के कार्य इस प्रकार हैं –

- पंचायत द्वारा अपने पंचायत क्षेत्र के आर्थिक विकास तथा सामाजिक न्याय के लिए वार्षिक बजट एवं कार्य योजना तैयार करना।
- लोगों के विकास के लिए राज्य एवं केन्द्र सरकार द्वारा लागू एवं सौंपी गई योजनाओं का क्रियान्वयन करना।
- ग्राम पंचायत क्षेत्र में कॉलोनियों की स्थापना के आवेदनों पर विचार करना।
- ग्राम पंचायत में संचालित योजनाओं के क्रियान्वयन एवं उन पर होने वाले व्यय पर नियंत्रण रखना। यह देखना कि शासकीय योजनाओं और व्यय का लाभ अधिक से अधिक जरूरममंद लोगों को मिल रहा है या नहीं। साथ ही यह सुनिश्चित करना कि ग्राम पंचायत क्षेत्र में स्थित सार्वजनिक संसाधनों का उपयोग सभी लोग बराबरी एवं बगैर किसी भेदभाव से करें।
- ग्राम सभा द्वारा गठित की गई समितियों के कार्यों का समन्वय, मूल्यांकन और मॉनिटरिंग करना।
- ग्राम विकास समिति द्वारा बनाई गई विकास योजना जैसे – जीपीडीपी, आईपीपीई या इस प्रकार की अन्य योजनाओं को ग्राम सभा में पारित होने के बाद लागू करवाना।

- ग्राम विकास के लिए तैयार की गई कार्य योजना जनपद पंचायत में भेजना तथा जनपद पंचायत से समन्वय स्थापित करना।
- ग्राम पंचायत क्षेत्र में सार्वजनिक सुविधाएं उपलब्ध करवाना जैसे पानी, सड़क, स्ट्रीट लाईट आदि।
- ग्राम पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत उपलब्ध परिसम्पत्तियों का रख रखाव करना।
- ग्राम पंचायत क्षेत्र में संचालित सार्वजनिक सेवाओं – आंगनबाड़ी, स्कूल, स्वास्थ्य केन्द्र, राशन दुकान, राजस्व व कृषि सेवा आदि में सहयोग एवं निगरानी करना।
- सामाजिक कुप्रथाओं को रोकना तथा महिलाओं एवं वंचित वर्गों के साथ भेदभाव समाप्त करना।
- रोजगार एवं आजीविका के साधन उपलब्ध कराना।
- बाजार एवं मेलों की व्यवस्था करना तथा इनके लिये साफ-सफाई, शेड आदि की व्यवस्था करना।
- ग्राम सभा द्वारा लगाए गए करों की वसूली करना, स्वयं की आय के संसाधनों को बढ़ाना।

ग्राम पंचायत के कार्य

मूलभूत नागरिक सुविधाओं की व्यवस्था करना	ग्राम पंचायत की सम्पत्ति की सुरक्षा	प्राकृतिक संसाधनों की देखभाल और नियंत्रण	असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण	ग्राम पंचायत की विकास योजना बनाना	बाजार तथा मेलों का प्रबंधन करना	समन्वय, मूल्यांकन तथा मॉनिटरिंग करना	ग्राम सभा को धनराशि उपलब्ध करवाना
↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
पानी, स्ट्रीट लाईट, सफाई, स्वच्छता, रास्ता, नाली	भवन, सड़क, हैण्डपंप, कुंए, तालाब, आदि	जंगल, नदी, नाले, झरना आदि	शराब, जुआं, सट्टा व महिलाओं पर हिंसा आदि	सभी की सहभागिता से विकास योजना बनाना	पशु मेला, साप्ताहिक हाट बाजार स्थल की सफाई, शेड निर्माण आदि	समितियों और ग्राम पंचायत की बैठक, सार्वजनिक सेवाओं की निगरानी	योजनाओं के लिये प्राप्त राशि का बेहतर उपयोग

एक अच्छा सरपंच

एक ग्राम पंचायत के सभी लोग पंचायत के कामों से नाखुश रहते थे और पक्षपात का आरोप लगाते थे। चुनाव हुये तो लोगों ने नये व्यक्ति को सरपंच चुना। नये सरपंच ने अपने अच्छे नेतृत्व से पंचायत की खराब छवि को दूर करने का प्रण लिया। इसके लिये उसने सभी ग्रामों में ग्राम सभा का आयोजन कर सभी ग्राम सभा सदस्यों को आमंत्रित किया। ग्राम सभा में लोगों को अपने गांव में किये जाने वाले आवश्यक कामों को तय करने हेतु कहा और काम तय होने के बाद कौन सा काम पहले और कौन सा काम बाद में करेंगे यह भी लोगों के द्वारा तय करवाया। ठीक इसी प्रकार हितग्राही मूलक योजनाओं में किस योजना का लाभ किस परिवार को दिया जाये यह ग्राम सभा में तय करवाया। जिसे तय करने का पूरा काम ग्राम सभा सदस्यों की समितियां बनाकर किया गया। सूची बनने के बाद उसका प्राथमिकीकरण किया गया कि किस परिवार को पहले लाभ दिया जाये और किस परिवार को बाद में। ये सब तय होने के बाद कार्ययोजना एवं सूची को गांव के बीच में बोर्ड लगाकर लिखवाया और उसी के अनुसार कामों को पूरा किया। पंचायत द्वारा किये जाने वाले कामों का हिसाब लगातार ग्राम सभा के सामने रखा और लोगों की आवश्यकता के अनुसार कार्य योजनाओं में बदलाव करते गया। यदि कार्य योजना को लागू करने में ऊपरी कार्यालयों से कोई दिक्कत होती तो इसके बारे में भी ग्राम सभा को बताता। कई बार ग्राम सभा के सदस्य भी ऊपर के अधिकारियों पर दबाव बनाने के लिये सरपंच के साथ गये। सरपंच के कामों से खुश होकर लोगों ने पांच वर्ष बाद दोबारा उन्हें निर्विरोध सरपंच बनाया।

कुल्हाड़ी बन्दी से वनों का पुनर्जीवन

एक समय था जब राजापुर ग्राम पंचायत के प्रत्येक व्यक्ति के कान्धे पर कुल्हाड़ी रहती थी। पंचायत ने अपने पंचायत के नष्ट हो चुके वनों को पुनर्जीवित करने की ठानी। इसके लिये ग्राम पंचायत की बैठक में सभी सदस्यों के साथ मिलकर वनों को बचाने का संकल्प लिया गया और जन जागरूकता के लिये योजना बनाई गई। सरपंच एवं पंचों ने गांव-गांव में चौपाल लगाकर लोगों से कुल्हाड़ी बंदी करने का संकल्प दिलवाया और गांव-गांव में लोगों की समितियां बनाकर वनों की रखवाली करने लगे। समय-समय पर गांव में वनों के संरक्षण पर चौपाल लगने लगी। धीरे-धीरे सभी लोगों को समझ में आया और हरे पौधे काटने पर पूर्णतः प्रतिबंध लग गया। गांव के लोग बाहर के लोगों को भी वन काटने पर रोकने लगे। देखते ही देखते उस ग्राम पंचायत के सभी वनों में फिर से पौधे पनपने और बड़े होने लगे। अब इस पंचायत में चारों तरफ हरियाली है। पौधे ज्यादा होने से पुनः लोगों को सूखे पौधों से लकड़ी प्राप्त होने लगी।

जनपद पंचायत के कार्य

म.प्र. पंचायत राज अधिनियम की धारा 50 में जनपद पंचायतों के कार्य दिए गए हैं। उनमें से कुछ प्रमुख कार्य इस प्रकार हैं –

- जनपद पंचायत में शामिल ग्राम पंचायतों के बीच समन्वय स्थापित करना।
- क्षेत्र की सभी ग्राम पंचायतों तथा जनपद पंचायत की आर्थिक विकास तथा सामाजिक न्याय की वार्षिक योजना पर विचार करना और उन्हें समेकित कर (मिलाकर) जिला पंचायत को प्रस्तुत करना।
- जनपद पंचायत निधि से किए जाने वाले कार्यों की योजना बनाना।
- पंचायत निधि से विकास योजनाओं को मंजूर करना, उनकी देखरेख व प्रबंधन करना।
- दो या दो से अधिक ग्राम पंचायतों से संबंधित कार्यों का क्रियान्वयन करना।
- राज्य सरकार द्वारा सौंपे गए कार्यों का क्रियान्वयन करना।

जिला पंचायत के कार्य

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम की धारा 52 और उसकी उपधाराओं में जिला पंचायत के कार्यों का उल्लेख किया गया है। उनमें से प्रमुख कार्य इस प्रकार हैं –

- जिले की सभी जनपद पंचायत की कार्य योजनाओं की समीक्षा कर सम्पूर्ण जिले के आर्थिक विकास एवं सामाजिक न्याय के लिए कार्य योजना तैयार करना और क्रियान्वयन के लिए पंचायतों के साथ समन्वय करना।
- केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा सौंपी गई योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए वार्षिक योजना तैयार करना।
- जनपद पंचायतों के कार्यों का समन्वय, मूल्यांकन एवं मॉनिटरिंग करना।
- जनपद पंचायतों द्वारा तैयार की गई योजनाओं की देखरेख एवं समन्वय करना।
- ऐसी योजनाओं या कार्यों का क्रियान्वयन करना जो दो या दो से अधिक जनपद पंचायतों से संबंधित है।
- पंचायतों में नियुक्त किए गए कर्मचारियों पर नियंत्रण करना और आवश्यकतानुसार स्थानांतरण करना।

अनुसूचित क्षेत्रों में जनपद एवं जिला पंचायतों को निम्नलिखित शक्तियां भी होंगी-

- लघु जलाशयों की योजना बनाना, उन पर स्वामित्व तथा प्रबंधन करना।
- समस्त सामाजिक सेक्टरों में आने वाली संस्थाओं तथा उनके कर्मचारियों पर नियंत्रण रखना।

ग्राम पंचायतों के काम-काज के तरीके

ग्राम पंचायत में जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि के रूप में सरपंच एवं पंच शामिल हैं। अत: ग्राम पंचायत के काम-काज से संबंधित सभी निर्णय ग्राम पंचायत के पंच एवं सरपंच द्वारा ग्राम पंचायत की बैठक में लिए जाने का प्रावधान है। इसलिये ग्राम पंचायत की बैठक बहुत महत्वपूर्ण मानी गई है। मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम के अनुसार हर ग्राम पंचायत की माह में कम से कम एक बार बैठक होना अनिवार्य है।

ग्राम पंचायत की बैठक प्रक्रिया

अधिनियम की धारा 44(1) के अन्तर्गत पंचायत की बैठक आयोजित करने की प्रक्रिया-

1. बैठक की तारीख, समय तथा स्थान सरपंच द्वारा तय किये जाएंगे।
2. सचिव द्वारा प्रत्येक बैठक की सूचना, बैठक के 7 दिन पहले सभी सदस्यों को दी जायेगी। सूचना में बैठक की तारीख, समय, स्थान तथा बैठक में चर्चा के बिंदु (एजेण्डा) की जानकारी होगी और यह सूचना पंचायत के कार्यालय पर भी प्रदर्शित की जाएगी।
3. यदि सरपंच किसी कारणवश बैठक नहीं बुलाते हैं तो पंचायत सचिव की यह जिम्मेदारी है कि वह पिछली बैठक के 25 दिनों बाद ग्राम पंचायत की बैठक के लिए सूचना जारी करे - धारा 44(4)।
4. प्रत्येक बैठक में सरपंच या उसकी गैर हाजिरी में उप सरपंच अध्यक्षता करेंगे। इन दोनों की गैर हाजिरी में बैठक में उपस्थित पंचों द्वारा चुना गया पंच अध्यक्षता करेगा।
5. यदि कोई सरपंच तीन बार ग्राम पंचायत की बैठक आयोजित कराने में असफल रहता है तो उसे धारा 40 के अधीन पद से हटाया जा सकता है - धारा 40(7)।

6. यदि अध्यक्ष यह समझते हैं कि जिस विषय पर चर्चा हो रही है उसमें किसी सदस्य का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में आर्थिक हित हो सकता है तो अध्यक्ष उस सदस्य को मतदान करने या चर्चा में भाग लेने से रोक सकता है।
7. जिस सदस्य को रोका गया है वह अध्यक्ष के इस फैसले पर आपत्ति कर सकता है। ऐसी स्थिति में सभापति इस बात को बैठक में रखेंगे तथा बैठक में लिया गया फैसला अंतिम होगा।

एक अच्छी सरपंच

एक ग्राम पंचायत में पंचों की हमेशा शिकायत रहती थी कि हमें पंचायत के कामकाज की कोई जानकारी नहीं मिलती है। नई सरपंच ने पंचायत की इस छवि को दूर करने की ठानी। इसके लिये पंचायत की बैठकों के पूर्व सभी पंचों को बैठक में चर्चा के बिंदु के साथ बैठक संबंधी आमंत्रण लिखित में भेजना प्रारंभ किया और साथ ही सभी पंचों को फोन द्वारा स्वयं सूचित करना प्रारंभ किया। बैठक में पूर्व से तय एजेण्डे के एक-एक बिंदु पर चर्चा कर सभी की सहमति बनाकर निर्णय लिये गये, पंचों द्वारा उठाये गये सभी प्रश्नों पर पंचायत के सरपंच/सचिव द्वारा जवाब दिये गये और उन्हें कार्यवाही में दर्ज किया गया। बैठक समाप्त होने पर कार्यवाही का विवरण पढ़कर सुनाया जाने लगा। इस तरह नई सरपंच ने पंचों की शिकायतों को दूर कर अपनी तथा पंचायत की अच्छी छवि बनाने का कार्य किया।

बैठक का कोरम

ग्राम पंचायत की बैठक में कुल पंचों के आधे (पचास प्रतिशत) पंचों का उपस्थित होना जरूरी है। यदि आधे पंच नहीं आते हैं तो बैठक स्थगित कर दी जाएगी और बैठक की अगली तारीख तथा समय तय करके उसकी सूचना ग्राम पंचायत के नोटिस बोर्ड पर चिपका दी जाएगी।

यह बैठक जब भी दोबारा होगी, उसमें कोरम पूरा होना जरूरी है। किन्तु इस बैठक में उन्हीं मुद्दों पर फैसला होगा जो स्थगित की गई बैठक में तय थे, यानी स्थगित बैठक दोबारा करने पर उसमें कोई नये मुद्दे या विषय नहीं जोड़े जाएंगे – धारा 44(3)।

ग्राम पंचायत की बैठक को सफल तभी माना जा सकता है, जब उसमें सभी पंच उपस्थित हो। इसलिए कोरम का नियम बनाया गया है, जिससे की निर्णय में सबकी समान भूमिका हो।

बैठक में फैसला- धारा 44(2)

ग्राम पंचायत की बैठक में सभी सदस्य मिलकर फैसला लेंगे। हो सकता है कि कुछ विषयों में सदस्यों के अलग-अलग मत हों जिसे एकमत कर सभी की सहमति से फैसले लेने के प्रयास किये जायेंगे। अगर किसी मुद्दे पर सभी सदस्य एकमत नहीं होते हैं तो बहुमत के आधार पर फैसले लिये जायेंगे। बहुमत से फैसला लेते समय यदि दोनों पक्षों के मत बराबर हों तो अध्यक्ष के मत से फैसला लिया जावेगा।

ग्राम पंचायत के फैसलों पर पुनर्विचार - धारा 45

ग्राम पंचायत द्वारा लिए गए किसी भी फैसले पर छः माह से पहले पुनर्विचार नहीं किया जाएगा। किन्तु यदि तीन चौथाई पंच किसी फैसले के बारे में लिखित में पुनर्विचार करने की मांग करें तो इससे पहले भी उस पर पुनर्विचार के लिए पंचायत में बैठक रखी जा सकती है।

विशेष बैठक कब होगी और इसकी प्रक्रिया क्या होगी ?

यदि ग्राम पंचायत के आधे से ज्यादा पंच लिखकर मांग करते हैं तो सरपंच को मांग प्राप्त होने के सात दिन के भीतर विशेष बैठक बुलानी पड़ेगी। पचास प्रतिशत से अधिक पंचों द्वारा लिखित मांग के बावजूद यदि सरपंच सात दिन के भीतर विशेष बैठक नहीं बुलाते हैं तो पंचों को स्वयं ही बैठक बुलाने का अधिकार होगा, जिसकी सूचना वे जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को देंगे – धारा 44(6)।

पंचों की भागीदारी क्यों जरूरी है?

जब हम ग्राम पंचायत की बात करते हैं तो उसका मतलब ग्राम पंचायत के सभी पंच एवं सरपंच शामिल होते है। पंचायती राज के अंतर्गत ग्राम पंचायत के प्रत्येक वार्ड से पंच चुने जाते हैं। नियम के अनुसार ग्राम पंचायत की बैठक में सभी पंच मिलकर फैसला लेते हैं। ग्राम पंचायत पर किसी एक व्यक्ति या पद का एकाधिकार नहीं है इसलिए गांव के विकास और फैसलों में पंचों को सक्रिय भूमिका निभाना जरूरी है। पंच का यह कर्तव्य है कि वह अपने वार्ड के लोगों से लगातार चर्चा कर समस्याओं एवं जरूरतों को पहचानें तथा समस्याओं के समाधान हेतु उसे ग्राम पंचायत की बैठक में रखें एवं चर्चा करें। इसके साथ ही ग्राम पंचायत के सभी मुद्दों पर पंचों को अपनी बात रखना जरूरी है। बैठक में लिए गए फैसलों को लागू कराने एवं उनकी निगरानी करने के लिए भी पंचों की भागीदारी जरूरी है। पंचों की भागीदारी से ही पंचायत लोकतांत्रिक रूप से चल सकती है। अगर किसी वार्ड का पंच पंचायत की बैठकों में भागीदारी नहीं करता है इसका मतलब साफ है कि उस वार्ड के लोगों की समस्याओं पर न तो कोई चर्चा होगी और न ही उनकी समस्याओं के समाधान की अपेक्षा की जा सकती है।

ग्राम पंचायत की बैठक में लोकतंत्र और समानता के आधार पर बातचीत हो तथा फैसले लिये जाएं, यह सुनिश्चित करने के लिए पंचों को अधिकार दिए गए हैं। पंचों का एक बड़ा अधिकार है कि उन्हें बैठक के सात दिन पूर्व बैठक में चर्चा के विषय एवं किये जाने वाले कामकाज की जानकारी दी जाती है ताकि वह पूरी तैयारी के साथ बैठक में अपनी बातों को रख सकें।

एक सक्रिय पंच

एक पंचायत का एक वार्ड बहुत पिछड़ा था वह पंचायत की बसाहट से दूर बसा हुआ था, जिसमें सड़क, बिजली, पानी, स्कूल आदि से संबंधित कई समस्यायें थी। इन समस्याओं का प्रमुख कारण था उस वार्ड के पंच का पंचायत की बैठकों में न जाना एवं वार्ड के विकास पर ध्यान नहीं देना था। इस वार्ड के लोगों ने अगले चुनाव में नए व्यक्ति को पंच के लिये चुना। नया पंच पंचायत की प्रत्येक बैठक में उपस्थित रहते और अपने वार्ड में सड़क, बिजली, पानी एवं स्कूल की समस्याओं को बैठक में रखते। अंततः ये बात पंचायत को समझ में आयी तथा संबंधित विभागों तक भी इसकी सूचना पहुँची। कुछ ही समय में वार्ड की समस्याओं पर काम प्रारंभ हुआ और पंच के कार्यकाल पूरा होने से पहले ही वार्ड की सभी समस्याएं खत्म हो गई। पुनः चुनाव हुआ तो वार्ड के लोगों ने निर्विरोध इसी पंच को अपने वार्ड का पंच चुना।

ग्राम पंचायत की शक्तियां एवं समितियां

ग्राम पंचायत की शक्तियां

ग्राम पंचायत की शक्तियों के बारे में अधिनियम की धारा 54 से 61 तक प्रावधान दिए गए हैं। ग्राम पंचायतें अपने कार्यों को सफलता पूर्वक पूरा कर सकें इसके लिये उन्हें निम्न शक्तियां दी गई है–

- ग्राम पंचायत अपने क्षेत्र में होने वाले व्यापार व्यवसाय को नियंत्रित कर सकती है। साथ ही खतरनाक एवं हानिकारक वस्तुओं के व्यापार को रोक सकती है या उसके लिए नियम बना सकती है।
- ग्राम पंचायत को अपने क्षेत्र में विकास कार्यों एवं निर्माण कार्यों में आने वाली बाधाएं हटाने का अधिकार है।
- स्वच्छता, साफ–सफाई, पानी निकासी और पानी के स्रोतों को बचाए रखने के लिए नियम–कायदे बनाने का अधिकार है।
- ग्राम पंचायतें पानी के उपयोग से संबंधित नियम बना सकती है, ताकि सभी को पानी मिल सके।
- पर्यावरण की सुरक्षा और बचाव करने के लिए उचित कदम उठाने का अधिकार है।
- ग्राम पंचायत को क्षेत्र में किसी भी प्रकार के भवन निर्माण के लिए अनुमति देने का अधिकार है।
- ग्राम पंचायत क्षेत्र में सार्वजनिक स्थलों और मार्गों से अतिक्रमण हटाने का अधिकार है।
- गांव में संचालित सार्वजनिक सेवाओं जैसे राशन दुकान, स्कूल, आंगनबाड़ी, आदि की देखरेख व निगरानी करने का अधिकार है।

ग्राम पंचायत की समितियां

ग्राम पंचायत अपने कार्यों को पूरा करने के लिये तीन स्थाई समितियां गठित करेगी। प्रत्येक समिति में 4 सदस्य रहेंगे, जिनका चयन चुने हुए पंचों में से ग्राम पंचायत की बैठक में किया जावेगा। ये समितियां ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगी जो ग्राम पंचायत द्वारा उन्हें सौंपा जायेगा।

कोई भी व्यक्ति एक समय में दो से अधिक समितियों का सदस्य नही हो सकता है। सरपंच एवं उप सरपंच प्रत्येक समिति के पदेन अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष होते है एवं ग्राम पंचायत का सचिव इन समितियों का सचिव होता है। समितियों की बैठक अध्यक्ष के द्वारा प्रत्येक माह में कम से कम एक बार बुलाई जायेगी। ये स्थाई समितियां आगे चित्र के माध्यम से बतायी गई हैं–

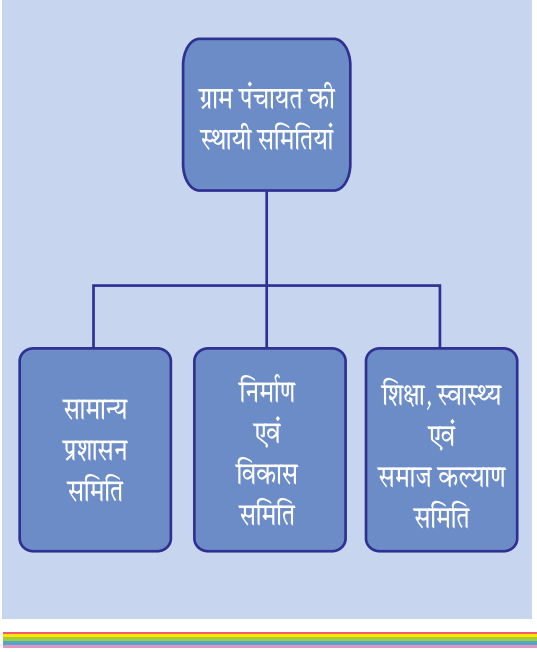

अभ्यास- 2

1. त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था का मतलब क्या है?

.....

.....

2. ग्राम पंचायत के 4 प्रमुख कार्यों के बारे में बताएं?

.....

.....

3. ग्राम पंचायत की बैठक की तारीख, समय तथा स्थान किसके द्वारा तय किये जाते हैं?

.....

.....

4. ग्राम पंचायत की विशेष बैठक बुलाने की प्रक्रिया क्या है?

.....

.....

5. पंचायत की बैठक का कोरम पूरा होने के लिये कितने सदस्यों की उपस्थिति होनी चाहिये?

.....

.....

6. ग्राम पंचायत की स्थायी समितियों के नाम बताएं?

.....

.....

7. ग्राम पंचायत की बैठकों में फैसले लेने की प्रक्रिया क्या है?

.....

.....

8. क्या पंचायत की बैठक में लिये गए फैसलों पर पुनर्विचार संभव है, यदि हां तो कब और कैसे?

.....

.....

9. पंचायत की विशेष बैठक कैसे बुलायी जा सकती है?

.....

.....

10. ग्राम पंचायत की किन्हीं दो शक्तियों के बारे में बतायें?

.....

.....

सरपंच, उपसरपंच, पंच तथा सचिव की जिम्मेदारियां और अधिकार

ग्राम पंचायत के कार्य किसी एक व्यक्ति या पद पर केन्द्रित नहीं है बल्कि सामूहिकता के आधार पर किए जाते हैं। इसलिए पंचायत अधिनियम में हर पदाधिकारी के कार्यों और जिम्मेदारियों को स्पष्ट किया गया है ताकि सभी की जवाबदारी तय हो सके। यहां पंच, सरपंच, उपसरपंच एवं सचिव के कार्यों एवं जिम्मेदारियां दी गई हैं।

सरपंच की जिम्मेदारियां और अधिकार

- ग्राम पंचायत की बैठक बुलाना।
- ग्राम पंचायत, ग्राम सभा और स्थाई समितियों की बैठकों में अध्यक्षता करना। परन्तु पेसा क्षेत्र में ग्राम सभा की अध्यक्षता सरपंच नहीं कर सकते हैं।
- बैठक में किये गये फैसलों को लागू करना।
- जनपद पंचायत, जिला पंचायत और सरकारी कार्यालयों से तालमेल रखना और उनके द्वारा बताये गये काम करना।
- गांव के विकास और सामाजिक न्याय की योजना बनाना।
- यह देखना कि जिस काम के लिये पैसा या बजट आया है उसी पर खर्च हो तथा नियम कायदे और किफायत से खर्च किया जाये।
- पंचायत की आमदनी और खर्चे का ठीक से हिसाब-किताब (लेखा-जोखा) रखना।
- इस बात का ध्यान रखना कि ग्राम सभा और पंचायत की बैठक में सभी सदस्य अपनी बात रखें खासकर महिलायें, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के सदस्य और गरीब लोग जरूर अपनी बात कर सकें।
- सभी बच्चे, खासकर लडकियां स्कूल जा सकें।
- पंचायत के कामों से संबंधित सभी लिखा-पढी आदि के काम ग्राम पंचायत के सचिव से करवाना।
- किसी भी दस्तावेज या कागजात पर हस्ताक्षर करने से पहले कागज पर लिखे विषय को अच्छी तरह समझना।
- पंचायत सचिव के काम की देखरेख करना।

उपसरपंच की जिम्मेदारियां और अधिकार

- उप सरपंच वार्ड का मेम्बर होने के साथ-साथ ग्राम पंचायत का उपसरपंच भी होता है।
- सरपंच की गैर हाजिरी में सरपंच की जिम्मेदारियों को निभाना।
- ग्राम पंचायत के काम में सरपंच को सहयोग करना और जरूरी सलाह भी देना।
- यदि सरपंच अपने पद से त्यागपत्र दे या उसे पद से हटा दिया जाये तो ऐसी स्थिति में जब तक सरपंच का पद भरा नहीं जाता तब तक सरपंच का काम चलाने की जिम्मेदारी निभाना।
- धारा-48 के द्वारा दी गई शक्तियों और कामों का पालन किया जाना।

पंच की जिम्मेदारियां और अधिकार

- ग्राम पंचायत की बैठकों में नियमित रूप से भाग लेना।
- ग्राम पंचायत में चल रही विकास योजनाओं, निर्माण कार्यों और कार्यक्रमों की जानकारी रखना।
- ग्राम पंचायत के बजट की जानकारी प्राप्त करना।
- ग्राम पंचायत की बैठक में कार्यसूची (एजेण्डा) के किसी भी विषय पर जानकारी लेना और सुझाव देना।
- यदि किसी विषय पर निर्णय लेने के लिये ग्राम पंचायत में मतदान की जरूरत होती है तो अपना निष्पक्ष मत देना।
- जिस वार्ड का वह प्रतिनिधि है उसके विकास के लिये प्रयास करना।
- अपने वार्ड की जरूरतों को ग्राम पंचायत की वार्षिक योजना में शामिल करवाना।
- सरकारी कर्मचारियों से जरूरी सहयोग लेना और उन्हें सहयोग देना।
- ग्राम पंचायत की बैठक के लिये (ऐजेण्डा) कार्य सूची में शामिल करने के लिये ग्राम पंचायत के सरपंच या सचिव को प्रस्ताव भेजना।
- उपसरपंच के चुनाव में मत देना।
- ग्राम पंचायत के सरपंच या उपसरपंच की गैर हाजिरी में ग्राम पंचायत की बैठक के लिये अध्यक्ष को चुनना।
- सरपंच और उपसरपंच को उनके काम में सहयोग करना।
- ग्राम पंचायत की गतिविधियों पर नजर रखना और यदि कहीं पर कोई भी अनियमितता हो रही हो तो उसे ग्राम पंचायत के सरपंच और सचिव की जानकारी में लाना तथा पंचायत की बैठकों में ऐसे विषयों को उठाना।
- समाज कल्याण एवं आर्थिक विकास से संबंधित योजनाओं की जानकारी के प्रचार-प्रसार में सहयोगी होकर अधिक से अधिक व्यक्तियों /परिवारों तक इस जानकारी को पहुंचाना।
- अपने वार्ड के लोगों को ग्राम सभा में भागीदारी के लिये प्रेरित करना।

पंचायत सचिव की जिम्मेदारियां और अधिकार

पंचायत के कार्यों का प्रबंधन

- सरपंच की सहमति से ग्राम पंचायत एवं ग्राम सभा की बैठक की कार्यसूची (एजेण्डा) तैयार करना एवं नियमानुसार बैठक बुलाना।
- सरपंच की सलाह से पंचायत के कार्यालय का समय तय करना और तय समय में कार्यालय में उपस्थित रहना।
- ग्राम पंचायत की बैठकों की सूचना निर्धारित समय पर सभी सदस्यों को देना तथा बैठक में शामिल सदस्यों की उपस्थिति दर्ज करना। पंचायत एवं ग्राम सभा बैठकों में हुई चर्चा एवं लिये गये निर्णयों को कार्यवाही रजिस्टर में दर्ज करना।
- पंचायत एवं ग्राम सभा द्वारा लिये गये निर्णयों पर आवश्यक कार्यवाही करना।
- जिला तथा जनपद पंचायत एवं अन्य शासकीय कार्यालयों से आये पत्रों, निर्देशों को सरपंच के सामने जरूरी कार्यवाही के लिए पेश करना तथा सरपंच की अनुमति से ग्राम पंचायत की बैठक में पेश करना।
- अचल संपत्ति भवन, तालाब, बगीचे, बाजार, मेले का रिकार्ड रखना एवं इनके रखरखाव पर

ध्यान देना।

ग्राम पंचायत तथा ग्राम सभा द्वारा लगाये गये कर और फीस की वसूली करना।

दस्तावेजीकरण

- ग्राम पंचायत कार्यालय में विषयवार दस्तावेजों का रख-रखाव करना और पंचायत कार्यालय को व्यवस्थित रखना, पंचायत के पुराने रिकार्डों को पंजीबद्ध कर सुरक्षित रखना। प्रत्येक समिति की कार्यवाही का विवरण रखना और उसे पंचायत की बैठकों में पेश करना।
- ग्राम पंचायत क्षेत्र की आधारभूत जानकारियां रखना, जैसे –
- पंचायत की अचल संपत्ति पंचायत के अधीन संस्थायें जैसे – कांजी हाउस, सहकारी समिति, अस्पताल, स्कूल, प्रौढ़ शिक्षा, आंगनबाड़ी, पटवारी कार्यालय
- ग्राम पंचायत में निवासरत परिवारों की जातिवार संख्या, जनसंख्या
- ग्राम पंचायत में साक्षर-निरक्षरों की संख्या
- दिव्यांग, निराश्रितों, विधवाओं की सूची और सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के लाभार्थियों की सूची पंचायत क्षेत्र में एकीकृत ग्राम विकास योजना, निर्माण कार्यों की सूची, उन पर होने वाले व्यय आदि का विवरण
- जन्म एवं मृत्यु का पंजीयन
- पंचायत एवं समाज कल्याण योजनाओं की जानकारी रखना तथा प्रचार-प्रसार करना
- योजनाओं का क्रियान्वन
- सरपंच एवं ग्राम पंचायत सदस्यों को, पंचायत अधिनियम एवं नियमों के आधार पर सही सलाह देना। यदि कोई कार्य या प्रस्ताव पंचायत अधिनियम के विपरीत हो रहा हो तो उस पर सरपंच एवं पंचों का ध्यान आकर्षित कराना
- ग्राम पंचायत की वार्षिक रिपोर्ट, प्रत्येक वर्ष, निश्चित दिनांक तक तैयार कर ग्राम पंचायत में रखना और उस पर आगे कार्यवाही सुनिश्चित करना पंचायत की अचल सम्पत्ति व सार्वजनिक स्थलों की निगरानी रखना व इन पर अतिक्रमण को रोकने और हटाने के लिए सरपंच को सलाह देना
- पंचायत क्षेत्र में संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों, स्कूलों, शासकीय उचित मूल्य की दुकान एवं अन्य शासकीय विभागों के कार्यक्रमों के संचालन में सहयोग करना।
- ग्राम पंचायत द्वारा पारित प्रस्ताव की सत्यप्रति सरपंच के हस्ताक्षर से संबंधित विभागीय अधिकारियों को भेजना तथा उस पर क्रियान्वयन के लिए कार्यवाही करना।
- सरपंच, उप सरपंच या पंच के पद से हटाये जाने अथवा निलम्बन की सूचना, जनपद, जिला पंचायत तथा उप संचालक पंचायत को भेजना।
- पंचायत सचिव ग्राम सभा का सचिव भी है, इसलिए वे सभी कार्य जो वह ग्राम पंचायत के लिये करता है ग्राम सभा के लिये भी उन जिम्मेदारियों को निभाना। खासकर ऐसी ग्राम पंचायतें जिनमें एक से ज्यादा ग्राम सभायें शामिल हैं वहां सभी ग्राम सभाओं और ग्राम पंचायत के बीच तालमेल रखना।

सचिव भर्ती और सेवा की शर्तें नियम में संशोधन

दिनांक 1 मई 2017 को मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित आदेश के अनुसार ग्राम पंचायत सचिव भर्ती और सेवा की शर्तें नियम 2011 में संशोधन किया गया है। जिसमें सेवा शर्तों संबधी उल्लेखों के साथ जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी को सचिवों पर अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिये सक्षम अधिकारी बनाया गया है। संबंधित सचिव, दण्ड आरोपित किये जाने के आदेश की दिनांक से, 15 दिवस के भीतर आयुक्त पंचायत मध्यप्रदेश के समक्ष अपील प्रस्तुत कर सकता है।

पंचायत सचिव के कार्यों को नीचे दिये गए चित्र के माध्यम से भी समझा जा सकता है-

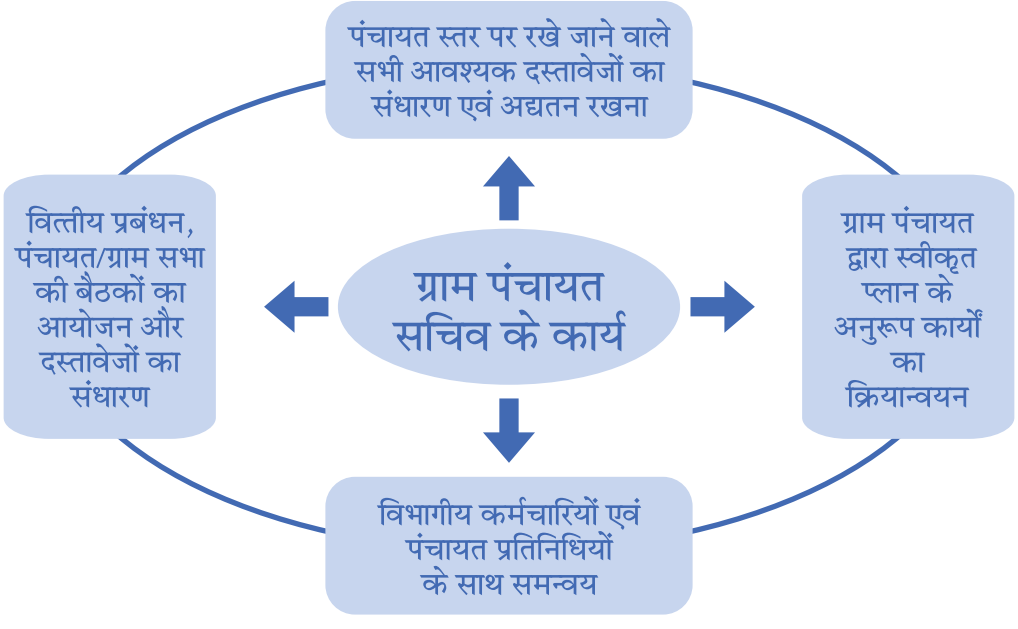

अभ्यास-3

1. सरपंच की 4 प्रमुख जिम्मेदारियां बताइये ?

   .....

   .....

2. यदि किसी कारणवश सरपंच का पद रिक्त हो जाए तो नया सरपंच नियुक्त किये जाने तक पंचायत के कामकाज की जिम्मेदारी किसकी है ?

   .....

   .....

3. ग्राम पंचायत सचिव के 4 मुख्य काम बताइये ?

   .....

   .....

4. ग्राम पंचायत के पंच की 4 प्रमुख जिम्मेदारियां बताइये ?

   .....

   .....

पंचायत प्रतिनिधियों को पद से हटाने के कानूनी प्रावधान

संसद और विधानसभा की तरह ही पंचायत प्रतिनिधि जनता द्वारा पांच सालों के लिए चुने जाते हैं। यदि एक सरपंच या उपसरपंच पांच साल तक अपने पद पर बना रहे और वह पंचायत के नियम कायदों का पालन न करे, ग्राम सभा के सुझावों व फैसलों की अनदेखी करे तो, ऐसी स्थिति में सरपंच और उपसरपंच को पद से हटाने के कानूनी प्रावधान किये गये हैं।

पंचायत राज अधिनियम की निम्न धाराओं के तहत पंचायत प्रतिनिधियों को पद से हटाया जा सकता है–

- अविश्वास प्रस्ताव (धारा 21)
- ग्राम पंचायत के पदाधिकारियों को वापस बुलाना (धारा 21–क)
- पंचायत की बैठकों में लगातार अनुपस्थित रहने पर पद से हटाना धारा 36(2)
- पंचायत प्रतिनिधि द्वारा त्याग पत्र (धारा 37)
- पंचायत प्रतिनिधि का निलम्बन (धारा 39)
- पंचायत प्रतिनिधि का हटाया जाना (धारा 40)
- धारा 89 के अंतर्गत दुरप्रयोजन के लिए पंचों को हटाना।
- धारा 98 के अंतर्गत अयोग्य हो जाने पर पंच, सदस्य, सरपंच, उपसरपंच, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष की हैसियत में कार्य करने के लिए दण्ड दिया जाना।

पंचायत प्रतिनिधियों के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव (धारा 21)

यदि ग्राम पंचायत के पंचों को ऐसा लगता है कि उनकी पंचायत का सरपंच या उप सरपंच ठीक से काम नहीं कर रहे हैं या ग्राम पंचायत के हितों की अनदेखी कर रहे हैं तो उस ग्राम पंचायत के पंच मिलकर एक अविश्वास प्रस्ताव लाकर सरपंच तथा उप सरपंच को हटा सकते हैं। ठीक इसी प्रकार जनपद एवं जिला पंचायत के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। अविश्वास प्रस्ताव लाने का तरीका इस प्रकार है–

- पंचायत के एक तिहाई पंच अविश्वास प्रस्ताव के सूचना पत्र पर हस्ताक्षर कर विहित अधिकारी (एस.डी.ओ.) को देंगे।
- यदि सरपंच और उप सरपंच दोनों के विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाना है तो अलग-अलग सूचना पत्र देने होंगे।
- विहित अधिकारी अविश्वास प्रस्ताव की सूचना प्राप्त होने पर पावती देगा।
- विहित अधिकारी अविश्वास प्रस्ताव की सूचना प्राप्त होने के 15 दिन के भीतर प्रस्ताव पर चर्चा हेतु बैठक बुलाएगा। वह बैठक की तारीख, समय और स्थान तय करेगा तथा पंचायत सचिव के माध्यम से सभी पंचों को बैठक के सात दिन पहले सूचना देगा।
- विहित अधिकारी (एस.डी.ओ.) सरपंच या उपसरपंच के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर बैठक की अध्यक्षता करने के लिए पीठासीन अधिकारी के रूप में नायब तहसीलदार या समकक्ष किसी अधिकारी की नियुक्ति करेगा।
- अविश्वास प्रस्ताव पर बैठक के दिन पीठासीन अधिकारी द्वारा उपस्थित पंचायत के सदस्यों की उपस्थिति दर्ज की जाएगी।
- अविश्वास प्रस्ताव की सूचना पर हस्ताक्षर करने वाले पंचों में से कोई एक पंच अविश्वास प्रस्ताव रखेगा। जिस पंचायत प्रतिनिधि के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है उसे भी बैठक में अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाएगा। अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा में सभी पंच अपने-अपने विचार रख सकते हैं।
- प्रस्ताव पर मतदान के लिए विहित अधिकारी उपस्थित पंचों को अपने हस्ताक्षरित मतपत्र देगा। मतदान करने वाले सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में और विरोध में विहित अधिकारी द्वारा तय चिन्ह मतपत्र पर लगाकर, मतपत्र को मोड़कर पीठासीन अधिकारी द्वारा रखी गई मतपेटी में डालेंगे।
- मतदान हो जाने के पश्चात् पीठासीन अधिकारी मतपत्रों की गणना करेगा। यदि बैठक में उपस्थित कुल सदस्यों में से कम से कम तीन चौथाई सदस्य अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में मतदान करते हैं तो अविश्वास प्रस्ताव पारित माना जाएगा। किन्तु यह तीन चौथाई संख्या पंचायत के कुल पंचों की दो तिहाई संख्या से अधिक होनी चाहिये।
- यदि बैठक में उपस्थित कम से कम तीन चौथाई पंचों ने अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया है परन्तु उनकी संख्या पंचायत के कुल सदस्यों के दो तिहाई से कम है तो अविश्वास प्रस्ताव पारित नहीं होगा।

अविश्वास प्रस्ताव कब नहीं लाया जा सकता?

सरपंच तथा उपसरपंच के खिलाफ हमेशा अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। पंचायत राज अधिनियम की धारा 21(3) के अनुसार –

- जिस दिन से कोई व्यक्ति सरपंच व उपसरपंच, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष के पद पर काम करना शुरू करेगा, उसके 1 साल तक उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता।
- यदि सरपंच, उपसरपंच या अध्यक्ष, उपाध्यक्ष का कार्यकाल खत्म होने में सिर्फ छः महीने बचे

हैं तो भी अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता।

☞ अगर पंचायत में किसी पदाधिकारी के खिलाफ एक बार अविश्वास प्रस्ताव पेश हुआ हो और उसे पेश हुए एक साल का समय नहीं बीता हो तो उस पदाधिकारी के खिलाफ एक वर्ष के अंदर दोबारा अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। यानी अविश्वास प्रस्ताव के गिरने के एक साल के बाद ही दोबारा अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है।

यदि सरपंच या उपसरपंच को ऐसा लगता है कि उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव कानूनी ढंग से नहीं लाया गया है या कानूनी ढंग से मतदान नहीं हुआ है तो वह प्रस्ताव पास होने के सात दिन के भीतर कलेक्टर के यहां अपील कर सकता है। अपील कराने की तारीख के 30 दिनों के भीतर कलेक्टर अपना फैसला सुनाएंगे। कलेक्टर का फैसला अंतिम होगा। अविश्वास प्रस्ताव से हटाए गए सरपंच व उपसरपंच को खाली हुये पद पर छः माह के भीतर होने वाले उपचुनाव में उम्मीदवारी करने का अधिकार है।

नीचे तालिका में अविश्वास प्रस्ताव के कुछ उदाहरण दिये गए हैं जिनसे हम और अच्छे से समझ सकते हैं

अविश्वास प्रस्ताव में उपस्थित सदस्य	अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में मतदान	उपस्थित सदस्यों का तीन-चौथाई	अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में मतदान (उपस्थित का तीन-चौथाई) पूर्ण संख्या में	ग्राम पंचायत में कुल सदस्य	कुल सदस्यों का दो-तिहाई	कुल सदस्यों का दो-तिहाई पूर्ण संख्या में	अविश्वस प्रस्ताव पारित अथवा नहीं	कारण
15	13	11.3	12	20	13.3	14	नहीं	पक्ष में 13 मत पड़े जो कि उपस्थित सदस्यों के तीन-चौथाई 12 से अधिक है लेकिन पंचायत के कुल सदस्यों के दो-तिहाई 14 से कम है
18	15	13.5	14	20	13.3	14	हां	पक्ष में 15 मत पड़े जो कि उपस्थित सदस्यों के तीन-चौथाई अर्थात 14 से कम नही है एवं पंचायत के कुल सदस्यों के दो-तिहाई अर्थात 14 से अधिक है
16	14	12.0	12	20	13.3	14	नहीं	पक्ष में 14 मत पड़े जो कि उपस्थित सदस्यों के तीन-चौथाई अर्थात 12 से कम नही है लेकिन पंचायत के कुल सदस्यों के दो-तिहाई अर्थात 14 से अधिक नहीं है

ग्राम पंचायत के पदाधिकारियों को वापस बुलाना (धारा-21क)

ग्राम सभा के सदस्य सरपंच और पंचों का चुनाव करते हैं। अपने सरपंच या पंच के कामकाज से असंतुष्ट होने पर ग्राम सभा सदस्यों को, इन्हें वापस बुलाने का कानूनी अधिकार मिला है। यह अधिकार पूरी दुनिया के लोकतंत्रों में शायद ही कहीं हो। यदि पंचायत के पदाधिकारी ग्राम सभा के निर्देशों को नहीं मान रहे हैं या अपनी मनमानी कर रहे हैं तो ऐसी स्थिति में ग्राम सभा को सरपंच तथा पंचों को वापस बुलाने, यानी पद से हटाने का कानूनी अधिकार दिया गया है (धारा 21-क)। सरपंच या पंच को वापस बुलाने की प्रक्रिया शुरू करने के लिए यह जरूरी है कि -

- ग्राम पंचायत के भीतर ग्राम सभा के कुल सदस्य संख्या के एक तिहाई सदस्यों को ऐसे मांग पत्र पर दस्तखत कर विहित अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी/एस.डी.ओ.) को देना होगा।
- उपखण्ड अधिकारी ग्राम सभा को मतदान की तिथि बताएगा और गुप्त मतदान की व्यवस्था की जाएगी।

वापस बुलाने की प्रक्रिया

- पंचायत के आम निर्वाचन (जब पूरे प्रदेश में ग्राम पंचायत के चुनाव होते हैं) से चुनकर आया सरपंच या पंच अपने कार्यकाल के कम से कम ढाई वर्ष पूरे कर लेगा तभी उसके खिलाफ यह प्रक्रिया शुरू की जा सकती है।
- जो सरपंच या पंच उप चुनाव में चुनकर आया है, उसके कुल कार्यकाल में से आधे कार्यकाल के खत्म होने के बाद ही उसे वापस बुलाने की प्रक्रिया शुरू की जा सकेगी।
- यदि पंचायत के भीतर ग्राम सभा का गठन करने वाले आधे से अधिक मतदाता सरपंच को वापस बुलाने के पक्ष में मत देते हैं तो सरपंच का पद तुरन्त खाली हो जायेगा।
- ठीक इसी प्रकार ग्राम पंचायत के किसी भी पंच द्वारा अपना पद तत्काल रिक्त कर दिया जायेगा यदि ऐसे वार्ड का गठन करने वाले ग्राम सभा सदस्यों की कुल संख्या के आधे से अधिक सदस्यों के द्वारा पंच को वापस बुलाने के पक्ष में मतदान किया गया है।
- यदि सरपंच या पंच को ऐसा लगता है कि ग्राम सभा द्वारा उसे हटाने की प्रक्रिया में कानून का पालन नहीं हुआ है, तो वह मतदान के सात दिन के भीतर कलेक्टर को अपील करेगा और कलेक्टर 30 दिन के भीतर अपना फैसला सुनाएगा। कलेक्टर का फैसला अंतिम होगा।

पंचायत के काम में भाग न लेने पर सदस्यता समाप्त होना (धारा 36-2)

धारा 36 के अंतर्गत पद से हटाने की कार्यवाही निम्न दशाओं में हो सकती है -

- पंचायत की लगातार तीन बैठकों में न आने पर या छः माह की अवधि में हुई बैठकों में से आधी बैठकों में शामिल न होने पर।
- पंचायत की स्थाई समितियों की लगातार तीन बैठकों में अनुपस्थित रहने पर।
- परन्तु, यदि किसी पदाधिकारी ने अनुपस्थित रहने के लिए पंचायत को आवेदन किया है और आवेदन प्राप्ति की तारीख से एक माह के भीतर पंचायत उसके अनुस्थित रहने पर कोई आपत्ति जाहिर नहीं करती है तो यह समझा जाएगा कि पंचायत ने उसे अनुपस्थित रहने की इजाजत दी है। उसे पद से हटाने का आदेश कलेक्टर ही देंगे। किन्तु वे उसे तब तक पद से नहीं हटा सकते, जब तक कि उसे अपनी बात कहने (अपना पक्ष रखने) का अवसर नहीं दिया गया हो। धारा-36(3)।

- इस मामले में पंचायत या कोई अन्य व्यक्ति एस.डी.एम./ कलेक्टर को आवेदन देंगे। कलेक्टर इस आवेदन के आधार पर उसकी जांच करवाएंगे और संबंधित पंचायत प्रतिनिधि को अपना पक्ष रखने का अवसर देने के बाद यदि शिकायत सही पायी जाती है तो पंचायत प्रतिनिधि को हटाने का आदेश देंगे। यदि पंचायत प्रतिनिधि को इस आदेश से आपत्ति है तो वह 30 दिनों के भीतर संभागीय आयुक्त को अपील कर सकता है।

पंचायत प्रतिनिधियों द्वारा त्याग पत्र (धारा-37)

पंचायत का कोई भी पदाधिकारी यदि अपने पद से स्वयं हटना चाहे तो ऐसी स्थिति में अपना त्यागपत्र लिखित रूप में देकर अपना पद छोड़ सकता है। (धारा-37)

- ग्राम पंचायत का कोई भी पंच अपना लिखित त्यागपत्र सरपंच को, जनपद और जिला पंचायत के सदस्य अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को दे सकते हैं। त्यागपत्र की एक प्रतिलिपि पंचायत के सचिव/ मुख्य कार्यपालन अधिकारी को भी देना चाहिए।
- सरपंच तथा उपसरपंच अपना त्यागपत्र उप संचालक, जिला पंचायत को देकर अपना पद छोड़ सकते हैं।
- जनपद अध्यक्ष व उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र कलेक्टर या अतिरिक्त कलेक्टर को देकर अपना पद छोड़ सकते हैं।
- जिला पंचायत अध्यक्ष व उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र संभागीय आयुक्त / अतिरिक्त आयुक्त को देकर अपना पद छोड़ सकते हैं।
- पंचायत पदधारी द्वारा दिया गया त्यागपत्र 30 दिन में स्वीकार होगा। इन 30 दिनों में यह जांचा जाएगा कि यह त्यागपत्र असली है या नहीं। यदि विहित अधिकारी सूचना प्राप्त करने के 30 दिनों के भीतर त्यागपत्र स्वीकार नहीं करता है तो त्यागपत्र स्वत: ही सूचना की तारीख से 30 दिनों के बाद प्रभावशील हो जायेगा। विहित अधिकारी द्वारा त्यागपत्र स्वीकृत करने की सूचना संबंधित पंचायत, उप संचालक पंचायत एवं समाज कल्याण तथा कलेक्टर को दी जायेगी।
- त्यागपत्र देने के बाद यदि त्यागपत्र देने वाले पंच या सरपंच को ऐसा लगे कि वे अभी और काम करना चाहते हैं तो ऐसी स्थिति में त्यागपत्र स्वीकार होने से पहले उसे वापस ले सकते हैं। इसके लिए त्यागपत्र वापस लेने के लिए संबंधित विहित अधिकारी को पत्र लिखना होगा।

पंचायत पदाधिकारी का निलम्बन (धारा-39)

यदि पंचायत के सरपंच, उपसरपंच, पंच या जनपद और जिला पंचायत के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व अन्य सदस्य देश के किसी कानून के उल्लंघन के दोषी हैं और उनके खिलाफ किसी अदालत में मुकदमा चल रहा है तो ऐसी दशा में विहित अधिकारी उस पदाधिकारी को उसके पद से निलम्बित कर देंगे। जिन अपराधों के लिए निलम्बित किया जा सकता है, उनमें प्रमुख हैं-

- भारतीय दण्ड संहिता 1860 के तहत आने वाली धाराओं से संबंधित अपराध।
- खाने के सामान व दवाओं में मिलावट का आरोप।
- महिलाओं तथा बच्चों के संबंध में अनैतिक व्यवहार के आरोप में चल रहा कोई मुकदमा।
- किसी भी ऐसे कानून के तहत जिसमें दण्ड की व्यवस्था हो, मुकदमा चलने की स्थिति में विहित अधिकारी (एस.डी.एम.) उसे निलम्बित कर इस निलम्बन की रिपोर्ट 10 दिनों में राज्य सरकार या राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट अधिकारी (कलेक्टर) को भेजेगा।
- कलेक्टर को निलम्बन की सूचना प्राप्त होने के 90 दिनों के भीतर इसकी पुष्टि करनी होगी अन्यथा यह निलम्बन अपने आप प्रभावहीन हो जाएगा।

पंचायत के पदाधिकारियों का हटाया जाना (धारा -40)

पंचायत राज अधिनियम की धारा 40 के अंतर्गत राज्य सरकार या विहित अधिकारी, पंचायत प्रतिनिधियों को पद से हटा सकते हैं। किन्तु इसके लिए समुचित कारण होना तथा उन कारणों की पूरी जांच करवाना अनिवार्य है। निम्नलिखित स्थितियों में पंचायत प्रतिनिधियों को पद से हटाया जा सकता है –

- वह ऐसा कोई कार्य करता हो जिससे भारत की एकता और अखंडता पर विपरीत प्रभाव पड़ता हो।
- लोगों के साथ धर्म, भाषा, क्षेत्र और जाति पर आधारित भेदभाव करता हो।
- स्त्रियों के सम्मान पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने वाले कार्य करता हो।
- मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 में दिए गए कर्तव्यों के निर्वहन में लापरवाही करता हो।
- पंचायत के धन व योजनाओं का स्वयं लाभ लेता हो अथवा रिश्तेदारों को लाभ पहुंचाने के लिए अपने पद का इस्तेमाल करता हो।
- सरपंच द्वारा पंचायत की किसी भी योजना में अपने रिश्तेदारों को हितग्राही नहीं बनाया जा सकता। इस कानून के मुताबिक इन रिश्तों को रिश्तेदार माना गया है – पिता, माता, बहिन, भाई, पति, पत्नी, पुत्र, ससुर, सास, साला, बहनोई, देवर, साली, भाभी, ननद, देवरानी, जेठानी, दामाद, पुत्रवधु –धारा 69(2)।
- पंचायत को हुई आर्थिक हानि या धन का दुरूपयोग या कदाचार भ्रष्टाचार (बहुत अधिक) किया गया हो।

धारा 40 के अंतर्गत कार्यवाही की प्रक्रिया

- उक्त दशा में किसी भी व्यक्ति द्वारा पंचायत प्रतिनिधि के खिलाफ एस.डी.ओ. को शिकायत करने पर एस.डी.ओ. द्वारा पंचायत प्रतिनिधि को धारा 40 के अंतर्गत कारण बताओ नोटिस दिया जाता है। पंचायत राज कानून में यह स्पष्ट लिखा है कि "किसी भी पंचायत प्रतिनिधि को तब तक पद से नहीं हटाया जाएगा जब तक कि उसे कारण बताने का नोटिस नहीं दिया गया हो" धारा 40(1)।
- कारण बताओ नोटिस मिलने के बाद संबंधित पंचायत पदाधिकारी को दी गई अवधि में अपना पक्ष लिखित में भेजना होगा।
- संबंधित पंचायत पदाधिकारी से प्राप्त जवाब का अध्ययन करने के बाद एस.डी.एम. अपने अधीनस्थ किसी अधिकारी या कर्मचारी को जांच के लिए भेजेगा। वह अधिकारी सभी पक्षों (शिकायतकर्ता एवं संबंधित पंचायत प्रतिनिधि व अन्य) से बात कर उनके बयान लिखेगा।
- कारण बताने का नोटिस जारी करने के 90 दिनों के अंदर एस.डी.ओ. को मामले में अपना निर्णय देना होगा। यदि एस.डी.एम. इस अवधि से अधिक समय तक मामले को लंबित रखता है तो कोई भी पक्ष उसकी सूचना वरिष्ठ अधिकारी (जिला कलेक्टर) को लिखित में दे सकता है।
- सभी बयानों का अध्ययन करने के बाद जांच में यदि शिकायत सही पाई गई तो पंचायत प्रतिनिधि को हटाने का आदेश जारी होगा। किसी भी पदाधिकारी को पद से हटाने के बाद छः माह की अवधि में चुनाव द्वारा नया प्रतिनिधि चुना जाएगा।
- यदि पंचायत प्रतिनिधि को यह लगता है कि उसे गलत तरीके से पद से हटाया गया है और वह एस.डी.ओ. के फैसले से संतुष्ट नहीं है तो उसे 30 दिनों के अंदर जिला कलेक्टर को अपील करने का अधिकार होगा।

☞ धारा 40 के अंतर्गत हटाया गया व्यक्ति छह वर्ष तक पंचायत के पदों पर चुनाव नहीं लड़ सकेगा।

धारा 40 का नोटिस मिलने के बाद क्या करें?

☞ धारा 40 का नोटिस मिलने का मतलब यह नहीं है कि उस पंचायत प्रतिनिधि को पद से हटा दिया गया या हटा दिया जाएगा। बल्कि यह पंचायत प्रतिनिधि को उसके विरूद्ध की गई शिकायत के विरूद्ध अपना पक्ष रखने का अवसर देता है।

☞ धारा 40 के तहत कारण बताओ नोटिस मिलने पर सबसे पहले संबंधित पंचायत प्रतिनिधि को यह बात समझना जरूरी है कि उस पर क्या आरोप है?

☞ यदि आरोप गलत है तो उसे अपना पक्ष पूरे तथ्यों के साथ एस.डी.ओ. द्वारा दी गई तारीख से पहले लिखित में प्रस्तुत करना चाहिए। अपने द्वारा प्रस्तुत किए गए जवाब की एक प्रति अपने पास जरूर रखें। साथ ही एस.डी.ओ. कार्यालय में अपना जवाब प्रस्तुत करते समय उसकी पावती भी जरूर लें।

☞ पंचायत प्रतिनिधि को यह जानने का पूरा अधिकार है कि उसके खिलाफ क्या शिकायत है? किसने शिकायत की? और शिकायत कब की गई? उसे मिलने वाले कारण बताओ नोटिस में इन सभी जानकारियों का उल्लेख होना चाहिये।

☞ अपना जवाब प्रस्तुत करने के बाद ऐसे लोगों से मिलें जो आपके पक्ष में तथ्य प्रस्तुत कर सकें।

☞ एस.डी.ओ. द्वारा नियुक्त जांचकर्ता अधिकारी जब भी पंचायत का दौरा करें, तो उनसे संबंधित लोगों को मिलवाएं और उनके बयानों को दर्ज करवाएं।

पंचायतों का सम्मिलन, धारा-44(7)

यदि ग्राम पंचायत का सरपंच या जनपद एवं जिला पंचायत के अध्यक्ष पंचायत की तीन बैठकें नहीं बुलाता है तो उसे धारा-40 के तहत पद से पृथक किया जा सकता है।

हानि, दुरूपयोजन के लिये पंचों आदि का दायित्व, (धारा-89)

पंचायत का प्रत्येक पंच, जनपद एवं जिला पंचायत के सदस्य, पदाधिकारी, अधिकारी या सेवक पंचायत के किसी धन या अन्य संपत्ति की हानि करने में शामिल रहा हो या यह क्षति उसके कर्तव्य के प्रति घोर उपेक्षा के कारण हुई है तो वह व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगा। ऐसी स्थिति में विहित अधिकारी वह रकम, हानि या दुरूपयोग की राशि वसूल कर सकता है। वसूली के पूर्व उस व्यक्ति या पदाधिकारी को अपना पक्ष रखने का अवसर दिया जायेगा।

यदि संबंधित व्यक्ति रकम नहीं देता है तो ऐसी रकम भू राजस्व के बकाया के तौर पर वसूल की जायेगी एवं पंचायत निधि में जमा की जायेगी। संबंधित पदाधिकारी पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए 6 वर्ष तक अपात्र होगा।

खाली पद भरने की व्यवस्था

पंचायत सदस्यों का कोई भी पद खाली होने की दशा में छः माह के अंदर उप चुनाव द्वारा उसे भरा जाएगा। यदि सरपंच का पद खाली है तो छः माह तक के लिए कार्यवाहक सरपंच पंचायत के बाकी पंचों में से नियुक्त किया जाएगा। इसमें यह ध्यान रखा जाएगा कि कार्यवाहक सरपंच उसी वर्ग के पंच को बनाया जाएगा जिस वर्ग के लिए सरपंच पद आरक्षित है।

ग्राम सभा के अधिकार और शक्तियां

गांव की संसद ग्राम सभा

प्रत्येक राजस्व एवं वन ग्राम की अपनी ग्राम सभा होगी जो कि अपने गांव के विकास संबंधी सभी विषयों पर फैसले लेगी। ग्राम सभा एक निगमित निकाय है उसकी अपनी मुद्रा (सील) होगी, शाश्वत उत्तराधिकार होगा। ग्राम सभा वाद कर सकती है, उस पर भी वाद किया जा सकता है। गांव की निर्वाचन नामावली में शामिल सभी मतदाता ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। ग्राम सभा की अनिवार्य बैठकें तीन माह में कम से कम एक बार होती है। इन अनिवार्य बैठकों के अलावा ग्राम सभा के सदस्य चाहें तो आवश्यकता पड़ने पर विशेष बैठकें बुला सकते हैं। ग्राम सभा अपने गांव के विकास हेतु बार्षिक बजट एवं बार्षिक योजना बनाने, हितग्राहियों का चयन करने, योजनाओं का क्रियान्वयन एवं निगरानी का काम करेगी। गांव में विभिन्न विभागों द्वारा किये गये विकास कार्यों की समीक्षा करने का अधिकार ग्राम सभा को है। विकास कार्यों में किये गये विभिन्न खर्चों एवं किये गये कार्यों की गुणवत्ता जांचने का अधिकार भी सामाजिक अंकेक्षण के रूप में ग्राम सभा को दिया गया है। ग्राम सभा द्वारा लिये गये फैसलों को लागू करने की जिम्मेदारी ग्राम पंचायत की होती है। शासन की हितग्राही मूलक योजनांतर्गत हितग्राही चयन करने का अधिकार ग्राम सभा को है।

ग्राम स्तरीय कर्मचारियों/ अधिकारियों की निगरानी, धारा-7 (ठ)

मध्यप्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 7 (ठ) में दी गई शक्तियों का उपयोग कर ग्राम सभा को अपने क्षेत्र की सीमाओं के भीतर कार्यरत सरकारी कर्मचारियों के वेतन रोकने, छुट्टी मंजूर करने, कार्य का निरीक्षण करने तथा उनके द्वारा किये गए कामों की निगरानी का अधिकार है।

ग्राम सभा की शक्ति

वर्ष 2006-07 में दतिया जिले के सेंवड़ा विकासखण्ड की ग्राम पंचायत हेतमपुर में पंचायत सचिव की नियुक्ति ग्राम सभा द्वारा की गई। जब इसकी सूचना कलेक्टर तक भेजी गई तो तत्कालीन कलेक्टर ने ग्राम सभा द्वारा की गई नियुक्ति को रद्द कर दिया। जिस पर ग्राम सभा ने पहले निचले स्तर की अदालत में कलेक्टर के आदेश को चुनौती दी, परन्तु सही न्याय नहीं मिलने पर हाईकोर्ट में अपील की गई। जिस पर हाईकोर्ट ने अपने निर्णय में सचिव की नियुक्ति को सही ठहराया तथा संबंधित कलेक्टर को यह कहते हुए कि आपके कार्यकाल को देखते हुए आपको जेल नहीं भेजा जा रहा है, 5000 रूपये के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया।

अभ्यास-4

नीचे दिये गये प्रश्नों के सही जवाब पर टिक (✓) लगाएं-

1. धारा 40 से किन्हें पद से हटाया जा सकता है ?

सरपंच को	☐	सचिव को	☐
पंच को	☐	उपसरपंच को	☐

2. धारा 40 लगाने का अधिकार किसे है ?

सीईओ जनपद को	☐	एसडीएम को	☐
कलेक्टर को	☐	सीईओ जिला पंचायत	☐

3. अविश्वास प्रस्ताव किन-किन के खिलाफ लाया जा सकता है ?

पंच	☐	सरपंच	☐
उपसरपंच	☐	जनपद सदस्य	☐
जिला पंचायत सदस्य	☐	जनपद अध्यक्ष	☐
जनपद उपाध्यक्ष	☐	जिला पंचायत अध्यक्ष	☐

4. सरपंच/उपसरपंच के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव कौन ला सकता है ?

पंच	☐	सचिव	☐
जनपद अध्यक्ष	☐	जिला पंचायत अध्यक्ष	☐

5. धारा 40 के तहत हटाये गये पंचायत प्रतिनिधि निर्णय के खिलाफ -

अपील कर सकते हैं	☐	अपील नहीं कर सकते	☐

6. किन-किन पंचायत प्रतिनिधियों को वापस बुलाया जा सकता है ?

पंच	☐	उपसरपंच	☐
सरपंच	☐	जनपद सदस्य	☐
जनपद अध्यक्ष	☐	जनपद उपाध्यक्ष	☐
जिला पंचायत उपाध्यक्ष	☐	जिला पंचायत अध्यक्ष	☐

5. पंचायत प्रतिनिधियों के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिये क्या करना होगा?

.....

.....

8. जनता के द्वारा अपने चुने पंचायत प्रतिनिधियों को वापस बुलाने की प्रक्रिया क्या है ?

.....

.....

9. अविश्वास प्रस्ताव एवं पंचायत प्रतिनिधियों को वापस बुलाने के प्रावधानों में क्या अंतर है ? विवरण दें ?

.....

.....

10. पंचायत में रिक्त हुए पद को कितने दिनों के भीतर और किस प्रक्रिया से भरा जाना अनिवार्य है?

.....

.....

समर्थन के बारे में

समर्थन – सेन्टर फॉर डेवलपमेंट सपोर्ट एक अलाभकारी स्वैच्छिक संस्था है, जो वर्ष 1996 से देश के मध्यप्रदेश एवं छत्तीसगढ़ राज्य में सहभागी अभिशासन एवं विकास को बढ़ावा देने का कार्य कर रही है। संस्था का प्रयास स्थानीय निकायों, सामुदायिक संगठनों, अन्य स्वयंसेवी संस्थाओं, स्थानीय लोगों की क्षमतावृद्धि कर उन्हें मजबूत बनाना है, ताकि नागरिकों और राज्य के बीच एक सहयोगी सेतु का निर्माण हो जिससे समाज के उपेक्षित, वंचित वर्ग की आवाज बुलन्द हो सके और वे भी इस प्रजातांत्रिक व्यवस्था के निर्माण में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकें। समर्थन पेयजल, स्वच्छता, पर्यावरण, स्वास्थ्य जैसे मुद्दों पर जमीनी स्तर पर कार्य करती है। इसके साथ ही बेहतर क्रियान्वयन के माध्यम से नीतिगत बदलाव हेतु साक्ष्य आधारित पैरवी करना भी संस्था का प्रमुख कार्य है।

Website: www.samarthan.org

टीआरआई के बारे में

ट्रांसफार्म रूरल इंडिया फाउंडेशन (TRI) एक गैर–शासकीय पहल है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के जीवन की गुणवत्ता को दर्शाने वाले महत्त्वपूर्ण सूचकांकों में आशावादी बदलाव लाना है। इसे प्राप्त करने हेतु TRI जमीनी स्तर पर कार्य कर रही उन गैर सरकारी संस्थाओं को सहयोग करती है, जिनका मुख्य ध्येय ग्रामीण क्षेत्रों में सकारात्मक बदलाव लाना है।

TRI 'समुदाय केन्द्रित' की अवधारणा पर काम करता है, इसका मतलब यह है कि समुदाय स्वयं विकास–रथ का सारथी बनने के लिए उद्वेलित हो तथा सामूहिक रूप से कार्य करने के लिए प्रेरित हो। स्थाई सकारात्मक परिवर्तन के लिए हम विकास के विभिन मूलभूत आयामों जैसे कि आर्थिक विकास, स्वास्थ्य सेवा, प्राथमिक शिक्षा, पर्यावरण सुरक्षा, व्यक्तिगत जवाबदेही एवं सामुदायिक नेतृत्व पर एक साथ काम करते हैं।

Website: www.trif.in

ट्रांस्फार्मिंग रूरल इन्डिया फाउंडेशन (टीआरआईएफ)
प्रधान कार्यालय : 3, कम्युनिटी शॉपिंग सेन्टर, नीति बाग, नई दिल्ली–49
वेबसाइट – www.trif.in

सेन्टर फॉर डेवलपमेन्ट सपोर्ट (समर्थन)
प्रधान कार्यालय : 36, ग्रीन एवेन्यू, चूना भट्टी कोलार रोड, भोपाल–462016
ई–मेल info@samarthan.org, वेबसाइट – www.samarthan.org